10 साल बाद 544 जेबीटी उर्दू शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। 544 जेबीटी उर्दू की भर्ती का रास्ता आखिरकार 10 साल के इंतजार के बाद साफ हो गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 3 माह में रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है।

हरियाणा सरकार ने 2012 में विज्ञापन निकालकर जेबीटी उर्दू के 544 पदों के लिए आवेदन मांगा था। इसके बाद 261 आवेदन प्राप्त हुए थे और 233 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। चयन कमेटी ने 75 लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इसके खिलाफ बाकी आवेदकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

हाईकोर्ट ने रिक्त पदों को तीन माह में भरने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नए सिरे से चयन कमेटी बनाकर प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके खिलाफ चयनित शिक्षकों ने एडवोकेट मजलिज खान के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील कर दी थी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी।